

# बाल सुरक्षा सामुदायिक आचार संहिता

इस आचार संहिता में बच्चों की सुरक्षा प्राथमिक चिंता है और इसकी रिपोर्टिंग कई रूपों में आ सकती है, जैसे माता-पिता से, देखभाल करने वालों से, बच्चों से और समुदाय के सदस्यों से।

यह आचार संहिता उन सभी लोगों और संस्थाओं पर लागू होती है, जो काउंसिल की सुविधा या सेवा का उपयोग करते हैं, जिसमें सिटी ऑफ़ Parramatta काउंसिल के प्रारंभिक अध्ययन केंद्र, पुस्तकालय, सामुदायिक केंद्र और परिसर, मनोरंजन केंद्र और किराये के स्थान शामिल हैं।

काउंसिल के बाल सुरक्षा फ़्रेमवर्क के तहत, 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है।

## हम नीचे बताई गई बातों का पालन करेंगे:

- ✓ बच्चों और युवाओं के साथ सम्मान से पेश आना और उनके विचारों और उनकी राय को महत्व देना।
- ✓ बच्चों और युवाओं के साथ अपने आचरण में सकारात्मक रोल मॉडल अपनाना।
- ✓ बच्चों या युवाओं के साथ किसी भी अनावश्यक शारीरिक संपर्क से बचना।
- ✓ अगर किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का तात्कालिक खतरा हो, तो - 000 पर पुलिस को फ़ोन करें।
- ✓ किसी बच्चे या युवा को गंभीर नुकसान पहुंचाने का समुचित आधार पर संदेह होने पर, काउंसिल के किसी कर्मचारी या 132 111 पर बाल संरक्षण हेल्पलाइन को रिपोर्ट करें।

## हम नीचे बताए गए कार्य नहीं करेंगे:

- ✗ बच्चों या युवाओं को शर्मिंदा करना, उन पर हावी होना, उनका उत्पीड़न करना, उन्हें तुच्छ दिखाना या नीचा दिखाना।
- ✗ किसी बच्चे के साथ भेदभाव करना।
- ✗ किसी बच्चे या युवा के साथ ऐसी किसी गतिविधि में शामिल होना, जिससे उन्हें शारीरिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने की संभावना हो।
- ✗ जान-बूझकर बच्चे के सामने अपने कपड़े उतारना या अपने अंगों का प्रदर्शन करना।
- ✗ बच्चे के साथ छेड़छाड़ करना या किसी तरह का कोई यौन संकेत देना।
- ✗ यौन प्रकृति के चुटकले सुनाना या ऐसे संकेत देना।
- ✗ अपनी जरूरतों के लिए किसी खास बच्चे या युवा के साथ 'विशेष' संबंध स्थापित करना या इसके लिए उन्हें पालना।
- ✗ अपनी देखभाल या जिम्मेदारी में शामिल बच्चों के अलावा अन्य बच्चों या युवाओं के साथ ऑनलाइन संपर्क सहित संपर्क स्थापित करना।
- ✗ बच्चे और उसके माता-पिता या अभिभावक की सहमति के बिना बच्चे या युवा का फ़ोटो लेना या उनका वीडियो बनाना।
- ✗ बच्चों की उपस्थिति में परिपक्व या वयस्क प्रकार की खुली चर्चा करना।
- ✗ बच्चों की उपस्थिति में अनुचित भाषा का इस्तेमाल करना।
- ✗ बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर करना।
- ✗ अपनी देखभाल या जिम्मेदारी से बाहर किसी बच्चे के साथ अनावश्यक संपर्क बनाना।
- ✗ चेंजरूम या शौचालय में फोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना।
- ✗ किसी बच्चे या युवा की सहमति के दायरे से बाहर छवि या जानकारी रिकॉर्ड करना, स्टोर करना या वितरित करना।
- ✗ दुर्व्यवहार से संबंधित रिपोर्ट को दबाना या उसे चुप करा देना।
- ✗ शराब या अवैध नशीली दवाओं के प्रभाव में होने पर बच्चों या युवाओं के साथ बातचीत करना।

